

परिशिष्ट 'अ'  
तारांकित प्रश्न क्रमांक-2578  
द्वारा- माननीय विधायक श्री कमलेश्वर पटेल

प्रश्नांश 'क' के संबंध में पत्रकारों के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराधों के संबंध में जानकारी  
(अवधि 1 दिसम्बर 2014 से 02 मार्च 2022 तक)

जिला- सीधी

क0	थाना	अप0 क0 / धारा	नाम फरियादी	नाम आरोपी	खात्मा / खारिजी / चालान / विवेचनाधीन
1	अमिलिया,	4 / 20 धारा 147,148,149,186,189 ,196,120बी,504,506 भादवि	वीरेन्द्र कुमार शुक्ला पिता रामायण प्रसाद शुक्ला उम्र 55 वर्ष निवासी तितरा शुक्लान थाना रामपुर नैकिन हाल सहा. ग्रेड-3 कार्यालय सिहावल	1-राजू गुप्ता 2-अरुण गुप्ता 3-सुभाष तिवारी 4-हरीश द्विवेदी 5-रामकली पटेल 6-राजेश्वर पटेल 7-चंद्रशेखर शुक्ला 8-यादवेन्द्र पटेल 9-प्रदीप पटेल	खात्मा
2	कोतवाली	935 / 21 धारा 294,452,323,506,34 भादवि	रामायण प्रसाद पटेल पिता श्री रामराज पटेल उम्र 32 वर्ष उत्तरी करौंदिया सीधी	1-कनिष्क तिवारी नि0-गोपालदास रोड सीधी 2-शिवम शुक्ला नि0-सीधी	मामला विवेचनाधीन है।
3	अजाक	5 / 20 धारा 294,323,324,506,34 भादवि 3(1)(द) 3(ध) 3(एफ) 3(जी) एस. सी./एस.टी. एक्ट	सुखलाल कोरी पिता भूषण कोरी निवासी ग्राम भरतपुर थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी	1-कृष्ण कुमार पाण्डेय उर्थ राजू पिता लक्ष्मीकांत पाण्डेय 2-अखिलेश पाण्डेय दोनों निवासी- ग्राम सोगौनी थाना रामपुर नैनिक	मामला विवेचनाधीन है।

जसुभागा अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन;  
पु (पुलिस) विभाग, बी (1),  
बवालप, भोपाल.

11.3  
AIG of Police  
CID, M.P., BHOPAL


परिशिष्ट 'अ'  
तारांकित प्रश्न क्रमांक-2578  
द्वारा- माननीय विधायक श्री कमलेश्वर पटेल


प्रश्नांश 'क' के संबंध में पत्रकारों के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराधों के संबंध में जानकारी  
(अवधि 1 दिसम्बर 2014 से 02 मार्च 2022 तक)

जिला-सिंगरौली

क्र०	थाना	अप० क्र० एवं धारा	नाम फरियादी	नाम आरोपी	खात्मा/खारिजी चालान/विवेचनाधीन
1	विंध्यनगर	अप०क्र० 369/21 धारा 384,386,34 भादवि	बबुन्दे पिता लालमन पाल उम्र 24 वर्ष निवासी विरकुनिया थाना मोरवा	1-सागर सिंह चंदेल पिता मंगलेश्वर सिंह उम्र 27 वर्ष नि० बी-166 से 03 जयंत पत्रकार इण्डिया सन लाइव 24 न्यूज रियल पिक्चर टाईम साप्ताहिक दैनिक अखबार का ब्यूरो चीफ 2-संतोष पिता रामचन्द्र कुशवाह उम्र 33 वर्ष नि० एम.क्यू 816 से 03 एम.पी.एल. कॉलोनी जयंत 3-आशीष दुबे पिता मनोज कुमार दुबे नि० गडहरा, थाना बैढन पत्रकार आज की पहल इण्डिया टीवी लाईव का ब्यूरो चीफ	चालान क्र० 473/2021 दिनांक 12.12.2021
2	सरई	अप०क्र० 322/21 धारा 384,385,50 4.505 (2), 506 भादवि	श्री विकास सिंह पिता स्व० कारनाथ सिंह सा० उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवसर जिला सिंगरौली	1-अवेश कुमार पिता लक्ष्मीचन्द्र दुबे उम्र 31 वर्ष सा० हनुमान मंदिर बैढन थाना बैढन पत्रकार-मानव अधिकार मीडिया2-ज्ञानेन्द्र प्रजापति पिता शुकुल प्रजापति उम्र 21 वर्ष सा० ओबरी थाना सरई पत्रकार-समता स्वर न्यूज	चालान क्रमांक 542/2021 दिनांक 04.07.21
3	माडा	अप०क्र० 74/21 धारा 153(ए), 153(आई) (ए) (बी), 505(2) भादवि	जगन्नाथ पिता सुमन्त राम वैश्य उम्र 21 वर्ष सा० भमौरा थाना माडा जिला सिंगरौली	1-श्री राजदीप देसाई इण्डिया टुडे न्यूज एन्कर 2-श्रीमती मृणाल पाण्डेय नेशनल हैराल्ड समूह के वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार नई दिल्ली 3-श्री जफर आगा उर्दू अखबार कोमी आवाज के प्रधान संपादक नई दिल्ली 4-श्री परेशनाथ प्रधान संपादक द करवा प्रकाशन व प्रिंटर नई दिल्ली 5-श्री अनन्त नाथ कारवा के संपादक नई दिल्ली 6-श्री विनोद के जोस कारवा के कार्यकारी संपादक नई दिल्ली	प्रकरण विवेचनाधीन है।

नोट:-सरल क्रमांक 1 थाना विंध्यनगर एवं सरल क्रमांक 2 थाना सरई के अपराध के आरोपी अधिमान्य पत्रकार नहीं है।

  
**जयसुभाष आंध्रकर**  
 जयसुभाष आंध्रकर  
 प्र (पुलिस) विभाग, बी (1)  
 बहाल, भोपाल.

  
**AIG of Police**  
 CID, M.P., BHOPAL